दक्षिण पश्चिम रेलवे
प्रधान कार्यालय, हुब्बल्लि

अभिव्यक्ति

मार्च, 2025
अंक : 54

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री सतीश कुमार रेलवे बोर्ड से
"रेल मंत्री राजभाषा" ट्रॉफी प्राप्त करते हुए श्री के. एस. जैन, अपर महाप्रबंधक, दपरे, हुब्बल्लि।

राजभाषा विभाग
प्रधान कार्यालय
दक्षिण पश्चिम रेलवे
हुब्बल्लि

महाप्रबंधक
दक्षिण पश्चिम रेलवे

संदेश

यह प्रसन्नता का विषय है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे के राजभाषा विभाग द्वारा ई-हिंदी पत्रिका "अभिव्यक्ति" के नवीनतम अंक का प्रकाशन किया जा रहा है।

भाषा के विकास तथा प्रचार-प्रसार में पत्रिकाओं की अहम भूमिका होती है। दक्षिण पश्चिम रेलवे पर "अभिव्यक्ति" पत्रिका का प्रकाशन यह दर्शाता है कि हम रेल परिचालन एवं ग्राहक संतुष्टिकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन के साथ-साथ रचनात्मक क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं।

हम सभी जानते हैं कि केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी देश के हर भाषा-क्षेत्र से होते हैं। सभी की मातृभाषा भले ही अलग-अलग हो, पर उनमें साहित्यिक प्रतिभा की कमी नहीं होती है। पत्रिका के माध्यम से रेल कर्मियों की ऐसी ही साहित्यिक और सृजनात्मक प्रतिभा को उजागर करने का प्रयास रहता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ई-हिंदी पत्रिका "अभिव्यक्ति" अपने उद्देश्यों को हासिल करने में सफल होगी।

"अभिव्यक्ति" के इस नवीनतम अंक के सफल संपादन के लिए मैं संपादकीय मंडल को अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ।

सादर,

आपका

(मुकुल सरन माथुर)
महाप्रबंधक

हुब्बल्लि

मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं
प्रधान मुख्य सिगनल व दूरसंचार इंजीनियर
दक्षिण पश्चिम रेलवे

संदेश

दक्षिण पश्चिम रेलवे की गृह पत्रिका "अभिव्यक्ति" के 54वें अंक के प्रकाशन पर मुझे हर्ष की अनुभूति हो रही है।

हिंदी न केवल हमारी राजभाषा है, अपितु यह विश्व की एक प्राचीन, समृद्ध तथा महान भाषा भी है। यह हमें भावनात्मक रूप से जोड़ती है। हिंदी ने देश के विभिन्न प्रदेशों के लोगों के बीच भावनात्मक एकता बनाए रखने में अपनी प्रभावी भूमिका निभाई है और यह भारत जैसे बहुभाषी राष्ट्र में संपर्क भाषा के रूप में सशक्त भूमिका निभा रही है। हमारे देश की भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए देश की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनने के लिए हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया और इसके विकास एवं प्रचार-प्रसार का दायित्व केंद्र सरकार को सौंपा गया।

इस अंक में हमेशा की तरह पाठकों के लिए कहानी, कविता, अन्य ज्ञानवर्धक लेख तथा रचनाओं के साथ-साथ दक्षिण पश्चिम रेलवे की अन्य गतिविधियों की झलकियाँ शामिल करके इसे अधिक से अधिक रुचिकर बनाने का सराहनीय प्रयास किया गया है।

आपका

(शोभना गुप्ता)
मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं
प्रधान मुख्य सिगनल व दूरसंचार इंजीनियर
दक्षिण पश्चिम रेलवे

हुब्बल्लि

संपादक मंडल

संरक्षक
श्री मुकुल सरन माथुर
महाप्रबंधक

मुख्य संपादक
श्रीमती शोभना गुप्ता
मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं
प्रधान मुख्य सिगनल व
दूरसंचार इंजीनियर

संपादक
श्री सचिन रा जैन
वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी

सह संपादक
श्री एम सावंतनवर
वरिष्ठ अनुवादक

उप संपादक
श्री रमा कांत प्रसाद
वरिष्ठ अनुवादक

सहयोगी
श्री धिरेंद्र कुमार
कनिष्ठ अनुवादक,
श्री गोपाल लाल मीना
कनिष्ठ लिपिक सह टंकक,
श्रीमती गजाला अ. करीम
कनिष्ठ लिपिक सह टंकक,
श्रीमती यल्लम्मा शिवप्पा कुशेमनवर
कार्यालय सहायक

संपादक की कलम से.....

वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी
प्रधान कार्यालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे

संदेश

दक्षिण पश्चिम रेलवे के राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी ई-पत्रिका "अभिव्यक्ति" के नवीनतम अंक का प्रकाशन हर्ष का विषय है।

"अभिव्यक्ति" पत्रिका के इस अंक में नियमित सामग्री जैसै कहानी, लेख, कविता आदि के साथ-साथ विभिन्न गतिविधियों की झलकियां दी गई हैं। हमारा यही प्रयास रहता है कि प्रत्येक अंक को नए कलेवर के साथ आप सभी पाठकों की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रस्तुत किया जाए। इसके लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। आप सभी पाठकों एवं रचनाकारों के सहयोग से पत्रिका को लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाया जा सकता है। आशा है, पत्रिका के इस विकास यात्रा में आप भरपूर सहयोग प्रदान करेंगे।

दक्षिण पश्चिम रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी, जो विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, यदि वे साहित्यिक लेखन के साथ-साथ अपने क्षेत्र से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी भी हिंदी में उपलब्ध कराते हैं, तो इस पत्रिका को और अधिक उपयोगी बनाना संभव हो सकेगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे की गतिविधियों से अधिकारियों और कर्मचारियों को परिचित कराने के लिए पूर्ववर्ती अंकों की तरह इस अंक में भी कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों की झलकियां फोटो सहित दी गई हैं।

मुझे आशा है कि 'अभिव्यक्ति' का यह अंक आपको पसंद आएगा। इसे और अधिक रुचिकर बनाने के लिए आपके महत्वपूर्ण सुझावों की हमें प्रतीक्षा रहेगी। पत्रिका के इस नवीनतम अंक में स्थान प्राप्त रचनाओं के रचनाकारों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई।

आपका

सचिन रा जैन
वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी
राजभाषा विभाग, प्रधान कार्यालय, दपरे

पत्राचार का पता

महाप्रबंधक का कार्यालय
दक्षिण पश्चिम रेलवे, राजभाषा विभाग, "रेल सौधा"
गदग रोड, हुब्बल्लि- 580020
फोन नं.0836-23-25034/20
ई-मेल : srrba.swr.ubl@gmail.com

Office of the General Manager
South Western RailwayRajbhasha Department,
"Rail Soudha" Gadag Road, Hubballi - 580 020
Phone No. 0836-23-25034/20
E-mail: srrba.swr.ubl@gmail.com

पत्रिका में प्रकाशित लेखों, रचनाओं आदि में व्यक्त विचार लेखकों, रचनाकारों के अपने हैं, जिसके लिए संपादक मंडल उत्तरदायी नहीं है।

महादेवी वर्मा

धिरेंद्र कुमार
कनिष्ठ अनुवादक/ हिंदी
राजभाषा विभाग
प्रधान कार्यालय, दपरे

आधुनिक हिन्दी साहित्य में सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक महादेवी वर्मा का जन्म दिनांक 26 मार्च 1907 को फ़र्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्राध्यापक थे। उनकी माता का नाम हेमरानी देवी था।

महादेवी जी की शिक्षा इन्दौर में मिशन स्कूल से प्रारम्भ हुई। विवाहोपरान्त महादेवी जी ने वर्ष 1919 में क्रास्थवेट कॉलेज, इलाहाबाद में प्रवेश लिया। वर्ष 1921 में महादेवी जी ने आठवीं कक्षा पास किया। यहीं पर उन्होंने अपने काव्य जीवन की शुरुआत की। महादेवी जी में काव्य प्रतिभा सात वर्ष की उम्र में ही मुखर हो उठी थी। वर्ष 1925 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ वह एक सफल कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थीं। वर्ष 1932 में जब उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एम.ए.पास किया तब तक उनके दो कविता संग्रह नीहार तथा रश्मि प्रकाशित हो चुके थे।

महादेवी वर्मा ने अपने प्रयत्नों से इलाहाबाद में "प्रयाग महिला विद्यापीठ" की स्थापना की। इसकी वे प्रधानाचार्य एवं कुलपति भी रहीं। उन्होंने 'साहित्यकार' नामक पत्रिका का संपादन किया और 'रंगवाणी' नाट्य संस्था की भी स्थापना की।

'यामा' में उनके प्रथम चार काव्य-संग्रह नीहार , रश्मि, नीरजा तथा सांध्यगीत की कविताओं का एक साथ संकलन हुआ है।

महादेवी जी ने काव्य, गद्य, शिक्षा और चित्रकला सभी क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए हैं। उनके 18 काव्य और गद्य कृतियाँ हैं जिनमें मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएँ, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ और साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध प्रमुख हैं।

उनकी गद्य रचना स्मृति की रेखाएँ में भाव की यथार्थता पर वह कहती हैं–

'भाव यदि मनुष्य की क्षुद्रता, दुर्भावना और विकृतियाँ नहीं बहा पाता, तब वह उसकी दुर्बलता बन जाता है। इसी स्नेह, करुणा आदि के भाव हृदय की शक्ति बन सकते हैं और द्वेष, क्रोध आदि के दुर्भाव उसे और अधिक दुर्बल स्थिति में छोड़ जाते हैं।'

इसी प्रकार अतीत के चलचित्र में वह संदेश देना चाहती है कि–

'हमारी शिष्टता की परीक्षा तब नहीं हो सकती, जब कोई बड़ा अतिथि हमें अपनी कृपा का दान देने घर में आता है, वरन् उस समय होती है, जब कोई भूला-भटका भिखारी द्वार पर खड़ा होकर हमारी दया के कण के लिए हाथ फैला देता है।'

भावनाओं की गम्भीरता, अनुभूतियों की सूक्ष्मता, बिम्बों की स्पष्टता और कल्पना की कमनीयता के फलस्वरूप गाम्भीर्य और महत्ता की प्रधानता है। इसलिए उनके काव्य, विस्तार का नहीं गहराई का काव्य है।

वैयक्तिकता, प्रकृति का मानवीकरण, श्रृंगार की साध्वी अभिव्यक्ति, सौन्दर्य निरूपण, लाक्षणिक अभिव्यक्ति तथा मानवतावादी दृष्टि आदि इनकी रचनाओं में मौलिक रूप से विद्यमान है। इन्होंने अन्य छायावादी कवियों की तरह प्रकृति पर ध्यान आकर्षित किया है और उसके साथ विविध मधुर संबंधों की कल्पनाएँ निम्न पंक्तियों में की हैं जैसे

रजनी ओढ़े जाती थी !
झिलमिल तारों की जाली,
उसके बिखरे वैभव पर,
जब रोती थी उजियाली।

इतना हीं नहीं उनकी ममैं नीर भरी दुःख की बदलीफ गीत में समर्पण की भावना लिए निम्न पंक्तियां कहती है

मैं नीर भरी दुःख की बदली !
विस्तृत नभ का कोई कोना,
मेरा कभी न अपना होना,
परिचय इतना इतिहास यही,
उमड़ी थी कल मिट आज चली।

इस बात का परिचायक है कि महादेवी जी आधिनुक युग की मीरा है। इसी भाव को लिए श्रृंखला की कड़ियां में महिलाओं के पक्ष में कहती हैं

"स्त्री के गुणों का चरम-विकास समाज के शांतिमय वातावरण में ही है।"

महादेवी जी की रचनाएं भले ही भावनाओं से गम्भीर हो पर उनके मुखड़े पर खुशी की आभा सदैव विद्यमान रहती थी। इसी क्रम में एक बार मैथिलीशरण गुप्त ने उनकी कर्मठता की प्रशंसा करते हुए पूछा कि मआप कभी थकती नहीं। उनका उत्तर था कि "होली के दिन जन्मी हूं न, इसीलिए होली का रंग और उसके उल्लास की चमक मेरे चेहरे पर बनी रहती है।"

वर्ष 1943 में मंगला प्रसाद एंव भारत भारती, 1958 में पद्म भूषण, 1979 में साहित्यिक अकादमी फेलोशिप, 1982 में ज्ञानपीठ तथा 1988 में पद्म विभूषण आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य के इस महान कवयित्रि महादेवी वर्मा का निधन 11 सितम्बर, 1987, को प्रयाग में हुआ।

ट्रैक मशीन विभाग

राजवीर सिंह जादौन
तकनीशियन-III, इंजीनियरी विभाग
प्रधान कार्यालय, दपरे

भूमिका

रेलवे किसी भी देश की परिवहन प्रणाली की रीढ़ होती है, और इसके सुचारू परिचालन के लिए रेलवे ट्रैक का सही स्थिती में होना अत्यंत आवश्यक है। रेलवे ट्रेक मशीन विभाग इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विभाग अत्यंत आधुनिक मशीनों की सहायता से रेलवे ट्रैक का रख-रखाव, मरम्मत और निर्माण करता है। जिससे सुरक्षित और कुशल ट्रेन परिचालन संभव हो पाता है।

रेलवे ट्रैक मशीन विभाग का परिचय

रेलवे ट्रैक मशीन विभाग भारतीय रेलवे का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो मुख्य रूप से पटरियों की देख-भाल और सुधार से संबंधित कार्य करता है। यह विभाग नवीनतम तकनीकों और मशीनों का उपयोग करके ट्रैक की सफाई ,मरम्मत, सरेखण और उन्नयन करता है। यह विभाग नवीनतम तकनीकों और मशीनों का उपयोग करके ट्रैक को नवीनतम रूप से विकसित करता है। इन कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनें उपयोग में लाई जाती हैं, जैसे की ट्रैक टेम्पर मशीन, बैलास्ट क्लीनर, रेल रिन्यूवल मशीन आदि।

मुख्य कार्य एंव जिम्मेदारियां

1) पटरी बिछाने का कार्य :- नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए यह विभाग अत्याधुनिक मशीनों का उपयोग करता है जिससे यह कार्य तेजी और सटीकता से किया जा सके।

2) पटरी की मरम्मत और रख-रखाव :- ट्रैक की सुरक्षा और सुचारू संचालन के लिए नियमित रूप से मरम्मत की जाती है।

3) बैलास्ट प्रबंधन :- बैलास्ट (कंकड़-पत्थर) ट्रैक की स्थिरता बनाये रखने के लिए आवश्यक होता है। बैलास्ट साफ करना और सही जगह पर भरने के लिए विशेष मशीनों का उपयोग किया जाता है।

4) संरेखण और स्तर में सुधार :- समय के साथ ट्रैक मे हल्के झुकाव या असमानता आ सकती है, जिसे ठीक करने के लिए मशीनों द्वारा सरेखण और उँचाई में सुधार का कार्य किया जाता है।

5) स्वचालित निरीक्षण व निगरानी :- रेलवे ट्रैक मशीन विभाग आधुनिक तकनीकों जैसे कि ड्रोन अल्ट्रासोनिक डिटेक्शन सिस्टम और जीपीएस आधारित ट्रेक मॉनिटरिंग का उपयोग करता है ताकि किसी भी संभावित समस्या को समय रहते पहचाना जा सके।

प्रमुख मशीन और उनका उपयोग

रेलवे ट्रैक मशीन विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण मशीनें निम्नलिखित है :

(I) ट्रैक टेम्पर मशीन :- यह मशीन पटरियों को संतुलित करने और उनकी पकड़ मजबूत करने का काम करता है।

(II) बैलास्ट क्लीनर मशीन :- यह मशीन ट्रैक पर जमीं गंदगी और पुराने बैलास्ट को हटाने का काम करती है।

(III) रेल प्रोफाइल ग्राइंडिग मशीन :- यह मशीन पटरियों को घिसकर उनकी सतह को चिकना करती है, जिससे ट्रेन परिचालन में सुधार होता है।

(IV) रेल पहिया मशीन :- यह मशीन ट्रैक के टूटे या खराब हिस्सों को जोड़ने और मजबूत करने में सहायक होती है।

रेलवे ट्रेक मशीन का महत्व

ट्रैक मशीन विभाग रेलवे नेटवर्क की रीढ़ है, जिसकी सहायता से

1) ट्रेन परिचालन अधिक सुरक्षित और कुशल होता है।
2) ट्रेन की गति और समयबद्धता बनी रहती है।
3) रेलवे ट्रैक की आयु बढ़ती है और रख-रखाव की लागत कम होती है।
4) दुर्घटना घटित होने की आशंका कम होती है।

निष्कर्ष

रेलवे ट्रैक मशीन विभाग भारतीय रेलवे का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, जो रेलवे ट्रैक के रख-रखाव मरम्मत और निर्माण से जुड़ा हुआ है। आधुनिक मशीनों और तकनीकों के उपयोग से यह विभाग रेलवे प्रणाली को सुरक्षित और कुशल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। रेलवे के सतत विकास के लिए इस विभाग का सशक्त होना आवश्यक है, जिससे देश की परिवहन व्यवस्था और भी उन्नत हो सके।

ಸುರೇಶ ರಾಥೋಡ್
ಹಿರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ರೈಲ್ವೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಕಿರಿಟಪ್ರಾಯದಂತೆ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾಬಕಮಾನು ರೈಲು ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಅಂಜಿ ಕೇಬಲ್ ರೈಲು ಸೇತುವೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಸಂಚಾರ ಒದಗಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸೇತುವೆಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿತ್ತು. ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಅಪೂರ್ವ ಅವಕಾಶವಾಯಿತು.

ಅಂಜಿ ರೈಲ್ವೆ ಸೇತುವೆ

ಅಂಜಿ ರೈಲ್ವೆ ಸೇತುವೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕೇಬಲ್-ಸ್ಟೇಯ್ಡ್ ರೈಲ್ವೆ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉಧಾಂಪುರ-ಶ್ರೀನಗರ-ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಕಟ್ರಾ-ಬನಿಹಾಳ್ ಸೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸೇತುವೆ ರೂ.458 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 725.5 ಮೀ ಉದ್ದವಿದೆ. ಜಮ್ಮುವಿನಿಂದ 80 ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಜಿಖೇಡ್ ಬಳಿನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಈ ಸೇತುವೆ, ಆ ಭಾಗದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. 100 ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳಲಾದ ಈ ಸೇತುವೆ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಸೇತುವೆಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ 82 ಮೀಟರ್‌ನಿಂದ 295 ಮೀಟರ್‌ವರೆಗಿನ ಉದ್ದದ 96 ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೇತುವೆಯ ತೂಕವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರಿಸಲು ವಿವಿಧ ರೀತಿ ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಚಾರದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು 187 ಸೆನ್ಸಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಗರಾಣಿಯಲ್ಲಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿದರೆ, ರೈಲು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೇತುವೆಯ ಯಶಸ್ವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತದ ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದೆ.

ಚೆನಾಬ್-ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ರೈಲ್ವೆ ಸೇತುವೆ

ಭಾರತದ ಶಿಖರ, ಮಕುಟಮಣಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಸಾಧನೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಭಾರತದ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಚೆನಾಬ್ ಕಮಾನು ಸೇತುವೆಯು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದವರೆಗೆ ರೈಲುಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಗೊಳಿಸುವ ವಿಷಯ. 26 ವರ್ಷಗಳ ಕನಸು ಈಗ ಸಾಕಾರಗೊಂಡು ಮಹತ್ವದ ಫಳಿಗೆಯಾಗಿದೆ.

ಚೆನಾಬ್ ರೈಲು ಸೇತುವೆ

ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಕಮಾನು ರೈಲು ಸೇತುವೆ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚೆನಾಬ್ ಸೇತುವೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲೋಕದ ಅದ್ಭುತ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಹಿಮಾಲಯ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಆಳವಾದ ನದೀ ಕಣಿವೆಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು, ಭಾರತೀಯ ಉತ್ತರ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ನಿಗಮ ಈ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೀರಿಪವಾಡದಂತಿದೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿ

ಈ ಸೇತುವೆ ಭಾರತದ ಪಂಚನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಚೆನಾಬ್ ನದಿಯ ಮೇಲೆ 1178 ಅಡಿ (359 ಮೀಟರ್) ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸೇತುವೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನ ಐಫೆಲ್ ಟವರ್‌ಗಿಂತ 35 ಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಿಯಾಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಕೌರಿ ನಡುವಿನ ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಮಾನು ಸೇತುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಂತರಾ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಚೆನಾಬ್ ಸೇತುವೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ

ಈ ಸೇತುವೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ಭಾರತೀಯ ಉಕ್ಕು, ಭಾರತೀಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ.

ನಿರ್ಮಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸೇತುವೆ ಭೂಕಂಪ, ಸ್ಫೋಟಕಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹೊರಗಿನ ಆಘಾತದಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗದು. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ 500 ಲಕ್ಷ ಮಾನವ ದಿನಗಳು ಹಾಗೂ 3000 ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಪಘಾತರಹಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಗತಿ

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವ ಈ ಯೋಜನೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ದೇಶದ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಭಾರತೀಯರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆರಗು ನೀಡುತ್ತದೆ.

सुनीता

ओ पी सिंह
संरक्षा सलाहकार, यातायात
संरक्षा विभाग
प्रधान कार्यालय, दपरे

"यश हाथ में अमेरिकन व्हिस्की का ग्लास लिए उन ख्यालों में डूबा हुआ था जो उसके जीवन के कुछ सुनहरे पल थे"। विसंगति जीवन की वो परछाई है जो साथ नहीं छोड़ती, जो मिला है वो मन को संतुष्ट नहीं करता जो नहीं मिला उसकी चाहत में मन नितांत व्यथित रहता है। राजकुमार सिद्धार्थ के पास भोग-विलास के वो सभी उपादान थे जो एक सामान्य व्यक्ति की चाहत होती है लेकिन उनका मन निरंतर वैराग्य की ओर झाँकता था। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और बहुत से महापुरुषों ने वो ही चुना जो ये चाहते थे। यह नितांत सत्य है कि यह साधारण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति नहीं थे। यश के दुख का कारण भी जीवन की विसंगति है लेकिन यह निजी है। जुलाई 1988, कॉलेज में नए स्टूडेंट्स का प्रवेश होना शुरू हो रहा था। उम्मीदों और आकांक्षाओं के अनुरूप क्लास रूम और कॉलेज कैम्पस में घूम कर अपने सपनों को उड़ान देते स्टूडेंट्स बहुत खुश थे।

हाय! मैं यश, यश कपूर। आईआईटी फर्स्ट ईयर मैकेनिकल ब्रांच।

हैलो, मेरा नाम सुनीता है, मैं आईटी ब्रांच से हूँ।

ओह गुड! आप किस शहर से हैं।

मैं दिल्ली से हूँ। आप?

मैं बनारस से हूँ।

छोटी सी मुलाकात थी लेकिन यह परिचय मात्र नहीं था। शायद यह किसी का किसी पर प्यार का आलंबन था। यश रात भर सुबह का इंतजार करता रहा, रात ऐसी लंबी सी हो गई थी जैसे वर्षों की हो। आँखें बंद तो कई बार की लेकिन हर बार चेहरा सामने आया और हर बार एक ही प्रश्न। क्या मैं उसे पहले से जनता हूँ? अगर नहीं तो इतना झुकाव क्यूँ?

"प्रत्येक वर्ष इस संस्थान मैं हजारों स्टूडेंट्स आते हैं, अपने अलग-अलग सपनों को लेकर, लेकिन उनको पूरा केवल 2 से 3 प्रतिशत ही कर पाते हैं, क्यूँ? क्या कमी रह जाती है कभी इसके बारे में विचार किया? कमी होती है प्रतिबद्धता की, अनुशासन की और लक्ष्य के प्रति ईमानदारी की। आपकी यह डिग्री किसी काम की नहीं यदि आप कैम्पस छोड़ने से पहले किसी मल्टीनैशनल कंपनी को अपनी ओर आकर्षित न कर पाए। मैं संस्थान के डायरेक्टर प्रद्युमन जैन आप सभी का सुनहरे भविष्य की अग्रिम बधाई के साथ स्वागत करता हूँ।"

क्लास का पहला दिन और एक दूसरे से परिचय, इस वातावरण की एक अलग ही जीवटता है जो जीवन के कुछ मनोरम पलों में से एक है।

हैलो सुनीता! कैसा रहा आज का दिन?

ठीक रहा। तुम्हारा?

यश बोलना तो चाहता था कि कैसे उसने रात गुजारी है यह सुबह देखने के लिए, लेकिन कहे कैसे।

मुस्कुराते हुए, बहुत अच्छा रहा। ऐसा लगा जैसे वर्षों का सपना पूरा हो रहा हो। मेरी बचपन से इच्छा थी किसी बड़े संस्थान से इंजीनियरिंग करूँ। अच्छा!

हाँ।

क्या सोचा है? इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद क्या करोगे?

किसी अच्छी मल्टीनैशनल कंपनी में कुछ वर्ष जॉब उसके बाद USA में सेटल हो जाऊंगा।

तुमने क्या सोचा है?

मैंने अभी कुछ सोचा नहीं, लेकिन USA के बारे में शायद कभी न सोचूँ।

यश को यह सुनकर मानों धक्का सा लगा हो, और लगा की अभी बोल दूँ मैं तो सारा जीवन तुम्हारे सानिध्य में ही खत्म करना चाहता हूँ, मुझे नहीं जाना USA या कहीं और। लेकिन कैसे कहूँ, अधिकार तत्व का अभाव है और यह अधिकार मुझे क्यूँ ही मिलेगा। कहना तो चाहता हूँ की तुम मेरा आलंबन बन जाओ और मेरे अंदर की चाहत को पूर्ण कर दो लेकिन क्या यह केवल मेरा लोभ मात्र नहीं होगा?

दिन बीतते गए क्लास चलती रहीं मौसम भी करवट ले गया। सुनीता और यश का मिलना-जुलना भी निरंतर बढ़ता गया। सुनीता ने कभी यह प्रदर्शित नहीं किया कि वो भी यश को वैसे ही देखती है जैसे यश उसको। सुनीता बहुत शांत और शालीन लड़की थी, उसकी सुंदरता उसके स्वभाव की परिपूरक थी।

अंतिम सेमेस्टर से पहले संस्थान की तरफ से एक समर कैम्प की घोषणा की गई। सुनीता जाने के लिए उत्साहित नहीं थी लेकिन यश ने उसे चलने के लिए निवेदन किया। सुनीता ने उसके प्रतिवेदन को ठुकरा सा दिया। यश आज काफी टूट सा गया था और निराश भी था। शायद उसने यह समझ लिया कि सुनीता के दिल तक उसकी प्रेम भावना नहीं पहुंची या फिर वो उसको समझना नहीं चाहती।

गुवाहाटी में अक्सर शाम को ठंडी हवाएं चलने लगती हैं पत्तों की सरसराहट यश को झँझोर रही थी। पेड़ से टूट कर गिर रहा पत्ता-पत्ता बस यही कह रहा था-' सुनीता' यश की धड़कनों को सुनों, उन धड़कनों में बस एक की आवाज है-'सुनीता', 'सुनीता'......

हवाएं जैसे चीख-चीख कर कह रहीं हों तेरे बिना कितना अधूरा है वो, जैसे डाली से टूटे फूल की कोई आभा नहीं बचती वैसे ही तुझसे दूर होकर धूमिल हो जाएगा यश! अधूरे मन से यश समर कैम्प के लिए बस में बैठ गया। सभी लोगों में समर कैम्प का उल्लास

था, खुशी थी, लेकिन यश की खुशी जैसे किसी कमरे में कैद सी थी।

हैलो यश!

यश (दुखी मन से) हैलो!

क्या बात है बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो? सहसा चौंक कर यश ने देखा उसकी आँखें कौतूहल से भर गई। सुनीता पास में बैठी थी।

तुम आ गई?

कैसे न आती किसी ने इतने प्यार से बुलाया था और अपने दोस्त की खुशी के लिए इतना करना ही पड़ता है। तुम खुश हो न?

हाँ, मैं बहुत खुश हूँ।

यश की प्रेम वेदना मानों आँशु बहकर ढह जाना चाहती थी। सुनीता के शब्द उसे घाव पर मरहम जैसे प्रतीत हो रहे थे। घाटी की वादियाँ उसके लिए प्रेम गीत गुनगुना रही थीं। वो सुनीता का आलिंगन करके बताना चाहता था कि देखो इन धड़कनों में तुम्हारा ही गीत है। जैसे आज उसका संस्थान आना परिपूर्ण सा हो गया हो।

सुनीता का हृदय खाली नहीं था, उसके दिल में भी प्रेम हिलोरें ले रहा था। लेकिन वो बंधी थी सीमाओं में, वे सीमाएं जिन्हे समाज ने खींची हैं। वो समझ रही थी यश का अनकहा प्रतिवेदन लेकिन वो अनुत्तर थी। परंतु सुनीता के मानस में यश के प्रति अनंत प्रेम भाव था जो अभिव्यक्त होने के लिए उपयुक्त समय की तलाश कर रहा था। "यश ने प्रेम को विषय के रूप में चुना था परंतु सुनीता के लिए प्रेम जीवन का आधार था।"

सुनीता के अंतर्मन में प्रेम, आजीविका और समाज सभी समानांतर चल रहे थे, वो किसे चुने? किसे छोड़े? यह नैतिक दुविधा उसे निरंतर झकझोर रही थी।

अंतिम सेमेस्टर का कल अंतिम पेपर है, सम्पूर्ण हॉस्टल उत्साहित है, किसी को घर जाने की खुशी है तो किसी को परीक्षा के बोझ से मुक्ति की। लेकिन यश बहुत दुखी है कल के बाद शायद ही वो सुनीता से मिल पाएगा, उसके बिना कैसे मन लगेगा? उसको मुझसे प्रेम अवश्य न हो लेकिन मुझे तो है। उसको देखने मात्र से ही मेरा प्रेम परिपूर्ण सा हो जाता है। अब नहीं! कल उसको वो सब कह दूंगा जो वर्षों से मन में धंसा हुआ है, अब यह पीड़ा असहनीय हो गई है।

आज सुनीता नीले रंग के सूट में आई थी उसके मुख का सौन्दर्य सूरज की चमक जैसा कीर्तिमान था। परंतु उसकी आँखें उदास सी थी, जैस कुछ कहना चाह रही हों लेकिन फिर खामोश हो गई हों। नीचे सर झुकाए वो यांत्रिक गति से चली जा रही थी।

सुनीता ....(पीछे मुड़कर देखा तो यश खड़ा था)।

यश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? थोड़ी देर में परीक्षा शुरू होने वाली है, जल्दी चलो देर हो जाएगी।

देर हो गई है सुनीता।।

देर हो गई है तुमको समझाने में, देर हो गई है तुमसे वो कहने में जिसे मैं वर्षों से कहना चाहता हूँ, लेकिन अब नहीं अब यह पीड़ा सही नहीं जाती। कैसी बहकी-बहकी बातें कर रहे हो। ...... (हँसते हुए) रात को ज्यादा नशा कर लिया क्या, अभी उतरा नहीं है।

हाँ! सुनीता यह नशा तुमको जब पहली बार देखा तब से हो गया है, और आज तक नहीं उतरा ,,,गहरा हो गया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ जीवन भर साथ रहने का सपना सजा रखा है। तुम्हारे नारीत्व की कामना में अपना पुरुषत्व तुमको समर्पित करना चाहता हूँ.....मुझे अपनी शरण में ले लो .....प्रिया।

सुनीता कुछ देर अवाक खड़ी केवल यश को सुनती रही उसका हृदय द्रवित हो उठा था, आज यश के प्रतिवेदन ने सारी सीमाओं को बौना सा कर दिया था, सभी उपलब्धियां उस प्रेम पूजा के सामने हीन सी प्रतीत हो रहीं थी ......"मुझे अपनी बाहों में ले लो यश।"

यश मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती।

यश- लेकिन क्यूँ?

सुनीता - कुछ बंधन हैं जो मुझे बाँधें हुए हैं। और उनको तोड़ने की मेरी सामर्थ्य नहीं।

यश - ऐसा क्या बंधन है जो हम दोनों के बीच दीवार बना हुआ है? बताओ प्लीज!

सुनीता - मेरे घर वाले तुम्हारे साथ शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, और फिर तुम्हारे भी सपने हैं **USA** जाने का, मेरे लिए इतना बलिदान क्यूँ दोगे। केवल देह सौन्दर्य ही प्रेम की परिणीति नहीं है, हमारी आत्माएं हमेशा एक दूसरे के प्रेम को सँजोये रखेंगी और तुम्हारा प्रेम इतना उथला तो नहीं कि दो शरीरों के मिलन तक ही सिमट जाए।

यश- सुनीता! तो हम इस बंधन को तोड़ देते हैं और इस पिंजरे से आजाद हो जाते हैं इस खुले आकाश में जरूर ईश्वर हम दोनों को शरण देगा।

यश के प्रेम का आवेग धधकती अग्नि की तरह तीव्र था जिसमें संसार की हर चेतना जल कर भस्म हो रही थी, न तो सुनीता के तर्क उसे मान्य थी न ही उनके प्रति कोई आकर्षण।

सुनीता आज रात मैं स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार करूंगा और हम दोनों इस दुनिया के बंधनों से कहीं दूर चले जाएंगे जहां केवल हम और हमारा प्रेम खुली साँस ले सके।

सुनीता जैसे इस प्रस्ताव से असहमति व्यक्त करना चाहती हो,लेकिन भावुकता की खाई इतनी गहरी हो गई थी कि उससे निकलना शायद संभव न था।

यश - सुनीता तुम सुन तो रही हो न।

सुनीता - हाँ, मैं सुन रही हूँ।

यश - तुम आओगी न।

सुनीता – यश, कोई और रास्ता नहीं हो सकता, इस राह में बहुत कांटे हैं।

यश – मैं उन काँटों पर स्वयं सो जाऊंगा लेकिन तुम्हारे साये को भी चोट न आने दूंगा। वादा करो तुम आओगी ?

सुनीता – हाँ यश, मैं जरूर आऊँगी (भरे हुए स्वर से)।

राजधानी एक्सप्रेस रात 10 बजे थी। कड़ाके की ठंड थी, थोड़ी–थोड़ी देर में बर्फ की फुहारें गिर रही थी। यात्री अपने–अपने सामान के साथ ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। स्टेशन पर लगे खोंचे यांत्रिकता के साथ यात्रियों को चाय और कॉफी सप्लाइ कर रहे थे। यश 8 बजे ही स्टेशन पर आ गया था उसे ट्रेन से ज्यादा सुनीता का इंतजार था वो बार–बार स्टेशन के बाहर जाकर सुनीता की राह ताक रहा था। मन में अनगिनत प्रश्न कौंध रहे थे, समय के साथ विश्वास और धैर्य दोनों बिखर रहे थे।

सर, चाय या कॉफी (चाय वाले ने पूछा)

हाँ, एक कॉफी दे दो। कॉफी की चुसकियाँ लेते–लेते दीवार से टिक कर यश बैठ गया और सुनीता के साथ भविष्य के सपनों में विलीन हो गया।

(अचानक आवाज आई) ,,, हैलो मिस्टर क्या ठंड में मरना है ? कहाँ जाना है ?

सुंदर और साफ सफेट पैंट–शर्ट और नीले कोट में सामने स्टेशन मास्टर साहब खड़े थे। ....क्यूँ मिस्टर क्या बात है इतनी बेरहम ठंड में दो ही लोग स्टेशन पर पड़े रहते हैं एक तो भिखारी और दूसरे इश्क में टूटे आशिक ,,, भिखारी तो लगते नहीं, लगता है, इश्क का मामला है।

यश– (विस्मय के साथ) क्या राजधानी एक्स्प्रेस चली गई, और सुनीता कहाँ है वो अभी आई नहीं। ,,,,अरे भाई राजधानी एक्स्प्रेस रात 10 बजे ही चली गई और सुनीता का पता नहीं। अभी तो सुबह के 7 बज रहे हैं। यश के चारों ओर जमघट लग गया था।

"इस गोलाकार जमघट के बीच में यश अवाक सा खड़ा था, सब की आवाज कान में गूंज रही थी लेकिन वो आवाज कहीं नहीं थी जिसको सुनने के लिए उसके कान बेचैन थे। उसकी छाती धक–धक कर रही थी। सुनीता नहीं आई क्या ? शायद इस भीड़ के पीछे हो। जब मालूम हो गया कि सुनीता नहीं आई है तो उसके कलेजे को चोट सी लग गई। मालूम हुआ देह में रक्त की बूंद शून्य हो गई है मानो उसे मूर्छा आ जाएगी"।

यश उन्माद की दशा में हॉस्टल की ओर भागा और अपने कमरे में जाकर फूट–फूट कर रोने लगा। वह लालसा जो आज चार वर्ष हुए, उसके हृदय में अंकुरित हुई थी , जो कुछ समय तक पुष्प और पल्लव से लदी खड़ी थी, उस पर वज्रपात हो चुका था। वह हरा–भरा लहलहाता पौधा जल गया ? केवल उसकी राख रह गई। कल शाम ही तो उसकी समस्त आशाएं अवलंबित हुई थीं, दुर्दैव ने आज वो भी आलम्ब छीन ही लिया।

उस निराशा के आवेग में उसका ऐसा जी चाहने लगा कि वो जीवन को यहीं विराम दे दे.....

यश अगर तुम्हारा इस ग्लास से प्रेम पूर्ण हो गया हो तो तैयार हो जाओ हमको खन्ना जी के यहाँ पार्टी में भी जाना है, 7 बज चुके हैं। यश ने चौंककर कहा ,हाँ बस अभी 5 मिनट में रेडी होता हूँ।

(यश की पत्नी गुस्से में .....) क्या 5 मिनट ? ग्लास हाथ में लेकर ऐसे खो जाते हो जैसे इस दुनिया में हो ही नहीं। कब से आवाज दे रही हूँ कभी तो मेरी सुन लिया करो .....खुद के अलावा किसी से प्यार कर ही नहीं सकते,।

यश स्नेहा को बड़ी गंभीरता से देख रहा था लेकिन उसके सवालों के प्रति अनुत्तर था।

खन्ना साहब बड़े गंभीर और शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। ज्यादा भीड़–भाड़ और मिलना–जुलना उनको कम ही पसंद है। लेकिन उनकी कामयाबी ऊंचे स्वरों में बोलती है जब वो लुधियाना से बैंगलोर आए थे तो एक मल्टीनैशनल कंपनी में इंजीनियर मात्र थे लेकिन आज जाने–माने उद्योगपति हैं। इतने कम समय में इतनी तरक्की उनकी काम के प्रति लग्न और गंभीरता का पर्याय है। यश, खन्ना की कंपनी में क्वालिटी टेस्टिंग इंजीनियर के कार्य को संभालता है।

खन्ना साहब चेहरे पर मुस्कान के साथ सभी मेहमानों का स्वागत कर रहे थे।

यश – हैलो सर !

खन्ना – हैलो यश ! मुझे खुशी हुई तुमको यहाँ देखकर।

यश – सर कैसे नहीं आता, आपकी शादी की वर्षगांठ बार– बार थोड़ी आएगी।

खन्ना – हा हा हा हा हा ~ ~ ~ ~ ओके इन्जॉय द पार्टी, मैं अभी आया।

थोड़ी देर में खन्ना अपनी पत्नी के हाथों में हाथ डालकर नीचे आया।

यश की आँखें मानो धोखा खा रही हों, बार–बार अपनी आँखों को साफ कर रहा था लेकिन फिर भी सामने की सूरत समान ही दिखाई दे रही थी। :..क्या यह सुनीता है ? हाँ यह सुनीता ही है ! लेकिन यहाँ क्यूँ ?

खन्ना – यश ! मीट माय वाइफ, सुनीता।

यश – हैलो ! सुनीता ने बड़ी सहजता से यश के हैलो का उत्तर दिया जैसे वो पहली बार मिली हो। यश आज उस दिन में फिर वापस चल गया जिस दिन से वो सुनीता से अलग हुआ था।

पार्टी चल रही थी सब एक दूसरे से बड़ी औपचारिकता से मिल रहे थे। खन्ना साहब सबको डिनर करके जाने का आग्रह कर रहे थे, लेकिन यश बस इसी उधेड़ बुन में था कि सुनीता से पूछे कि वो उस दिन आई क्यूँ नहीं ?

यश – सुनीता ! (सुनीता ने मुड़कर देखा)

सुनीता – आपने डिनर किया और अपनी वाइफ से तो मिलाया ही नहीं।

यश – तुम उस दिन क्यूँ नहीं आई ? सुनीता।

सुनीता – किस दिन ?

यश गुस्से से तमतामाता हुआ बोल उठा, किस दिन ? जैसे तुम कुछ जानती नहीं.. तुमने धोखा दिया है, तुमने मेरी उन सभी आशाओं को धूमिल किया है जिन्हें मैनें वर्षों तक पाल पोष के पल्लवित किया था। ,,,,,,,, (यश रोता हुआ) क्यूँ किया ऐसा तुमने ? क्या कमी थी मेरे में ,,,, अरे मैंने तो तुमको अपना सब कुछ मान लिया था ......पूरी रात स्टेशन पर तुम्हारी राह देखता रहा ,,,,, कहीं उधर तो नहीं है सुनीता ,,,,,कहीं इधर तो नहीं है सुनीता ,,,,पागलों की तरह मेरी आँखें सिर्फ तुम्हारा रास्ता देखतीं रहीं।

मुझे पश्चाताप है इसके लिए। जो पीड़ा तुमने सही है वही पीड़ा मैंने भी सही है। मैं भी दिन रात इस पश्चाताप में जलती रही हूँ लेकिन जो रास्ता तुमने चुना था उसमें तुम अपनी पूरी लाइफ का बलिदान देने जा रहे थे...यश। मेरे लिए सब कुछ छोड़कर तुम अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़कर भाग रहे थे। ,,,,,,(रोते हुए)....यश मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी......फिर मैं अपने ही प्यार को कैसे बर्बाद होने देती।

"सिर्फ पाने का नाम ही प्यार नहीं, कुछ खोकर पाना भी प्यार है।"

तुम अमेरिका नहीं गए ?...

यश– नहीं। तुम कितनी पागल हो सुनीता।

लफ़्ज़–ए–मोहब्बत

प्रभाष निराला
कनिष्ठ लिपिक
परिचालन विभाग, प्रधान कार्यालय, दपरे

मेरी किताबों के पन्नों पे,
तूने इश्क़ की स्याही जो डाला।
प्यार के बादल ने इस कदर मुझे घेरा,
नींद को भी अब तेरे आने तक मैंने रोक रखा।

तेरी आवाज हर वक़्त मेरे आसपास गुनगुनाती रहे,
तेरी लफ्ज मेरे लफ्जो से हमेशा टकराती रहे।
आरजू तेरी हर साँस तक ज़िंदा रहे,
तुझे देखने का मौका हर शाम मिलता रहे।

कभी तो वक़्त से ये रातें कट जाये,
कल फिर तुझसे मेरी मुलाकात हो जाये।
कल की शाम की आखिरी झलक ही है मेरे पास,
अब तो ख्वाबो में ही ढूंढता रहूँगा सारी रात।

काफी अरसे बाद सोने को चला था,
पर तभी तेरी यादों ने दरवाजे पे दस्तक दी।
सोचा मंदिर जाकर कुछ मांग लूं खुदा से,
रास्ते में तुझे देखा तो मानो खुदा मिल गया।

सोचा चला जांऊ दूर तो शायद भुला पांऊ तुझे,
पर तू तो ज़िद्दी थी,अब मेरे साए से जा मिली।
लफ्ज मेरे कम पड़ जाये,
अगर कोई पूछ ले तेरी तारीफें।
तू खुदा है या तुझमें खुदा है,
बता दिया तो खुदा ही नाराज हो जाये।

वक्त क्यूँ जाया किए...

निरंजन झा निर्वेद
वरिष्ठ पैसेंजर गाड़ी प्रबंधक
मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय,
हुब्बल्लि

आप मुझसे रूठ कर क्यूँ, ग़ैर से नाता किए।
मंज़िलें तो और ना जा जान से सौदा किए।।

वक़्त की कीमत बड़ी है,वक़्त की पहचान हो।
वक़्त पे चलना पड़ेगा ये नहीं सोचा किए।।

जो मिरा हमदर्द होता वो अभी तो है नहीं।
कह रहा है ये फिजा क्यूँ साथ वो छोड़ा किए।।

मान लेना हो अगर ये जिंदगी की चाल सब।
तो शिकायत में सदा ही वक़्त क्यूँ जाया किए।।

रौशनी से है सहर बस रात को भूला करो।
नींद से जागा नहीं फिर हाल पे रोया किए।।

आदमी है आदमी तो लोग का पहचान हो।
नासमझ बनते हुए इंसानियत मारा किए।।

ज़ख्म कर 'निर्वेद' के क्यूँ खूँ सभी पीता रहा।
हारकर भी वो यहाँ पर जीत ही माना किए।।

दपरे की गतिविधियां

हावेरी स्टेशन पर वंदे भारत का ठहराव

सेफ्टी मैन ऑफ द मंथ

बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन

दपरे की गतिविधियां

गणतंत्र दिवस का आयोजन

महादेवी वर्मा जयंती

अंबेडकर जंयती का आयोजन

इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के 100 वर्ष

राजा रणवीर और राजकुमारी रूपा

गजाला अ. करीम देसाई
कनिष्ठ लिपिक सह टंकक, राजभाषा विभाग
प्रधान कार्यालय, दपरे

एक राज्य में राजा रणवीर का शासन था। राजा न केवल बलवान था, बल्कि असाधारण रूप से सुंदर भी था। उनकी सुदंरता और बहादुरी की चर्चा आसपास के राज्यों में भी फैली हुई थी। उसी क्षेत्र में एक अन्य प्रसिद्ध राजा विक्रम भी रहते थे। उनकी एक अत्यंत सुंदर, सुशील और गुणवान बहन थी जिसका नाम रूपा था। रूपा की सुंदरता भी किसी परी से कम नहीं थी। परंतु राजा रणवीर को अपनी सुंदरता पर इतना घमंड था कि उसे लगता था कि उससे सुंदर कोई और हो ही नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने अविवाहित रहने का निर्णय लिया।

एक दिन राजा रणवीर अपने कुछ साथियों के साथ शिकार के लिए जंगल गए थे। शिकार के दौरान जंगल में भटकते-भटकते राजा विक्रम के राज्य में पहुचं गए। थोड़ी ही दूरी पर स्थित बगीचे में राजा विक्रम की बहन रूपा अपनी सहेलियों के साथ टहल रही थी। दूर से ही रणवीर रूपा को देख कर चकित रह गया। रूपा की सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि मानो स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा हो। रणवीर की निगाहें उसकी ओर खिंची चली गई। वह सोचने लगा कि उससे विवाह किया जाए। उसे नहीं पता था कि रूपा राजा विक्रम की बहन थी, जिसके साथ उसके पिता का पुराना झगड़ा था। रणवीर को चिंता थी कि यह विवाह उनके राज्यों के बीच युद्ध का कारण न बन जाए। यह सोचते हुए राजा रणवीर अपने महल वापस लौटे पर मन में राजकुमारी रूपा का ही चित्र था।

राजा रणवीर राजकुमारी रूपा के प्यार में पागल थे। वे किसी भी कीमत पर उनसे विवाह करना चाहते थे, किंतु राजा विक्रम भी बड़े उसूलों वाले थे। वो अपनी बहन का विवाह कभी भी राजा रणवीर से नहीं कर सकते थे। जब ये बात रूपा को मालूम होई तो वह आश्चर्यचकित रह गई। राजकुमारी रूपा राजा रणवीर को ठीक से जानती नहीं थी पर इतना सुन रखा था कि वह बहुत घमंडी राजा है। राजा रणवीर ने राजा विक्रम के पास कई बार संदेश भिजवाया पर राजा विक्रम के तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया।' राजा रणवीर की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। उसने पुनः संदेश भिजवाया कि राजा विक्रम से मिलने के लिए वह स्वयं आएंगे। तब राजा विक्रम ने भी संदेश भिजवाया कि वे उनके आगमन का इंतजार कर रहे हैं।

राजा रणवीर बहुत सारे भेंट लेकर राजा विक्रम से मिलने निकल पड़े। कई दिन के सफर के बाद राजा रणवीर राजा विक्रम के महल पहुंचे। अतिथि के रूप में उनका अभिवादन व सत्कार किया गया। आराम करने के लिए वे अपने कक्ष में चले गए। दूसरे दिन प्रातःकाल, शानदार बाग में सैर करने के लिए निकले उसी समय, राजकुमारी रूपा अपनी सखियों के साथ बगीचे में विहार कर रही थी। राजा रणवीर, घने पेड़ों की ओट में छिपकर, राजकुमारी रूपा को चुपचाप निहार रहे थे। तभी अचानक, रूपा की नज़रें उठीं और सीधे राजा के नजरों से मिल गई। वह एक पल के लिए अचंभित रह गई। राजा रणवीर की सुंदरता देखकर राजकुमारी की नज़रें थम सी गई। लजाते हुए, वह अपनी निगाहें चुरा कर चली गई।

राजा रणवीर उसे देखते रह गए। उन्होंने राजा विक्रम को संदेश भिजवाया कि, वे उनसे राजमहल में कब मिल सकते हैं। राजा विक्रम का संदेश आया कि वे एक घंटे के उपरांत मिल सकते हैं। तदुपरांत राजा रणवीर की मुलाकात राजा विक्रम से हुई। दोनों शक्तिशाली राजाओं की नज़रें मिलीं और राजनीतिक मंच पर एक नया अध्याय शुरू होने का संकेत मिला। जैसे ही दोनों राजा आमने-सामने हुए, सबकी नजरें उन पर ही टिक गई। राजा रणवीर ने बड़ी ही विनम्रता से राजा विक्रम का अभिवादन किया और बड़े प्रेमपूर्वक उन्हें उपहार भेंट किए। मधुर स्वर में राजा विक्रम से मित्रता का प्रस्ताव रखा और लंबे समय से चली आ रही शत्रुता को समाप्त करने का निवेदन किया। यह सुनकर सभी लोगों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। और सब मिलकर राजा रणवीर की जय-जयकार करने लगे। उनकी इस उदारता पर राजा विक्रम बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने दोस्ती का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दो दिन महल में ठहरने के बाद, राजा रणवीर राजा विक्रम को अपने महल आने का न्योता देकर अपनी रियासत की ओर चल पड़े। कई बार आग्रह करने के बाद राजा विक्रम भी मान गए और कुछ दिनों की तैयारी के बाद बहुत सारे उपहार लेकर अपनी बहन के साथ राजा रणवीर के महल पहुंचे। उनके आगमन पर राजा रणवीर ने तो मानो पूरे नगर को एक दुल्हन की तरह सजाया था। कुछ ही देर में राजा रणवीर भी वहां पहुंचे और बड़ी विनम्रता से उनका स्वागत किया और महल ले गए।

रात्रि के भोजन पर दोनों राजाओं की मुलाकात हुई। अब राजा रणवीर राजा विक्रम से उनकी बहन के रिश्ते के बारे में बात करने के लिए अपने खास मित्र को भी बुलवाया था ताकि राजा विक्रम को कोई संकोच ना हो और बात भी सही से हो जाए। सबने बड़े मजे से स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। भोजन के बाद सब मिलकर बात करने के लिए बैठ गए। तब राजा विक्रम के एक दोस्त ने बात शुरू की और बात ही बात में उसने अपने परम मित्र से राजा विक्रम की बहन से विवाह का प्रस्ताव रखा। कुछ देर के लिए राजा विक्रम और उनकी बहन सुनते ही रह गए। थोड़ी देर में खुद को संभालते हुए राजा विक्रम बोले कि हमें कुछ समय दो, हम सोच कर बता देंगे। और सब अपने-अपने कक्ष की ओर चल दिए।

राजा विक्रम अपनी बहन के कक्ष में जाकर राजकुमारी रूपा से पूछा कि राजा रणवीर आपसे विवाह करना चाहते हैं। आपकी क्या मन है? यदि आपकी हाँ है तो हम बात करें। रूपा ने अपने भाई से ही पूछा कि आप क्या चाहते हैं? तो राजा विक्रम बोले कि वह भी राजा रणवीर से अपनी पुरानी दुश्मनी को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए भी राजा विक्रम को उनकी मित्रता स्वीकार थी। और वो भी राजा रणवीर से अपनी बहन का विवाह करवाना चाहते थे, भाई का बात सुन कर राजकुमारी रूपा ने भी हाँ कर दी।

राजा रणवीर कुछ देर के लिए चिंतित हुए कि राजा का उत्तर क्या होगा, पर राजा विक्रम ने बड़े ही प्रेम से राजा रणवीर को अपना उत्तर हाँ में दिया। उनकी यह बात सुनकर राजा रणवीर भी बहुत प्रसन्न हुए और राजा विक्रम को गले लगा लिया। राजा विक्रम अपनी बहन के साथ अपने नगर वापस लौटे और विवाह की तैयारियाँ शुरू कर दिए। कुछ दिनों के बाद राजा रणवीर बरात लेकर राजा विक्रम के नगर आए और राजकुमार रणवीर तथा राजकुमारी रूपा का विवाह संपन्न हुआ, और इसके साथ ही दोनों राज्यों के बीच की दुश्मनी समाप्त हो गई।

दक्षिण पश्चिम रेलवे का उत्कृष्ट प्रदर्शन

रमा कांत प्रसाद
वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, राजभाषा विभाग
प्रधान कार्यालय, दपरे

- दक्षिण पश्चिम रेलवे ने मूल रूप से **45.66** मीट्रिक टन का माल लदान हासिल किया।
- हुब्बल्लि मंडल ने **32.69** मीट्रिक टन माल लदान की उपलब्धि हासिल कर दक्षिण पश्चिम रेलवे का अहम हिस्सा रहा।
- **67.57** किलोमीटर रूट का विद्युतीकरण कार्य पूरा हुआ।
- मैसूरु मंडल ने **10.84** मीट्रिक के लक्ष्य को पार करते हुए **10.89** मीट्रिक टन माल लदान किया।
- **39.1** किलोमीटर लाईन का दोहरीकरण एवं **26.5** किलोमीटर नई लाइन बिछाने का कार्य पूरा किया गया।
- दपरे ने स्क्रैप की बिक्री से **160** करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले **188.07** करोड़ का रिकॉर्ड बनाया।

दक्षिण पश्चिम रेलवे ने वित्तीय वर्ष **2024-25** के दौरान माल लदान, राजस्व अर्जन और बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने के साथ-साथ परिचालन कार्य संबंधी चुनौतियों का सामना करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

वित्तीय प्रदर्शन के संदर्भ में, दपरे ने राजस्व के विभिन्न स्रोतों में पर्याप्त वृद्धि किया है। यात्रियों से प्राप्त राजस्व पिछले वर्ष के **3,090.5** करोड़ से बढ़कर **3,172.82** करोड़ हुआ। अन्य कोचिंग से प्राप्त राजस्व **328.26** करोड़ से बढ़कर **335.24** करोड़ हो गया, जबकि पार्सल से प्राप्त राजस्व पिछले वर्ष के **157.77** करोड़ की तुलना में बढ़कर **166.6** करोड़ हो गया। सकल राजस्व **8,340.90** करोड़ तक पहुँचा, जो दपरे की मजबूत वित्तीय स्थिरता को दर्शाता है। विविध वाणिज्यिक राजस्व पिछले वर्ष **78.90** करोड़ थी जो इस वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि के साथ **91.60** करोड़ रहा। वर्ष **2024-25** के दौरान **165.51** मिलियन यात्री यात्रा किए, जो पिछले आंकड़े **162.16** मिलियन से अधिक था, इस प्रकार यात्रियों के यातायात में भी वृद्धि देखी गई।

दपरे ने वित्त वर्ष **2024-25** में कुल **45.66** मिलियन टन माल लदान दर्ज किया। जिसमें से हुब्बल्लि मंडल ने **32.69** मिट्रिक टन माल लदान का योगदान देते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि मैसूरु मंडल ने **10.89** मिट्रिक टन माल लदान किया जो इसके **10.84** मिट्रिक टन के लक्ष्य से अधिक था और शेष लोडिंग बेंगलूरु मंडल द्वारा हासिल की गई। मार्च **2025** में, दपरे ने वित्तीय वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए **5.024** मिट्रिक टन का अपना अधिकतम मासिक मूल माल लदान हासिल किया। रेलवे जोन ने वर्ष के दौरान **2.56** मिट्रिक टन का अब तक का सर्वाधिक खनिज तेल लदान हासिल करके एक नया मानदंड भी स्थापित किया। इसके अतिरिक्त, एक ही दिन में **3,870** आठ पहिया वाहन लोड किए गए, जो वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक रहा है।

अपने रिकॉर्ड-तोड़ प्रदर्शन को जारी रखते हुए, दपरे ने **2.26** मीट्रिक टन का अपना सर्वश्रेष्ठ खनिज तेल लदान हासिल किया, जो वर्ष **2023-24** में दर्ज किए गए **2.11** मीट्रिक टन से अधिक रहा। स्टील प्लांट के लिए कच्चे माल की लोडिंग **1.31** मीट्रिक टन तक पहुँच गई, जो वर्ष **2023-24** के **1.10** मीट्रिक टन के मुकाबले अधिक है। डोलोमाइट लोडिंग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो **0.113** मीट्रिक टन तक पहुँच गई, जो **0.052** मीट्रिक टन के पिछले सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड के दोगुने से भी अधिक है। मार्च **2025** में लौह अयस्क की लोडिंग **2.02** मीट्रिक टन रही, जो वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक रहा। रेलवे ने दिनांक **31** मार्च **2025** को स्टील लोडिंग के मामले में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, जिसमें एक ही दिन में अब तक का सर्वाधिक **29** रेक और **1,539** यूनिट लोड किए गए।

दक्षिण-पश्चिम रेलवे ने बुनियादी ढांचे के विकास में भी काफी प्रगति की है। परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए अपने नेटवर्क को मजबूत किया है। साथ ही **67.57** रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण कार्य पूरा किया है, जो दक्षिण-पश्चिम रेलवे के रूट की कुल लंबाई **3,692** में से **3,323** किलोमीटर विद्युतीकृत लाईन है। यह रेलवे जोन ने **26.5** किलोमीटर नई रेलवे लाइनों को सफलतापूर्वक चालू किया और **39.1** किलोमीटर दोहरी लाइन बिछाने का कार्य पूरा किया, जिससे क्षमता और कनेक्टिविटी में और भी वृद्धि हुई है।

माल ढुलाई, राजस्व और बुनियादी ढांचे में दक्षिण पश्चिम रेलवे की उल्लेखनीय उपलब्धियां, उत्कृष्टता और दक्षता के प्रति क्षेत्र की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। इन उपलब्धियों के साथ, दक्षिण पश्चिम रेलवे माल और यात्री सेवाओं में अपनी भूमिका को मजबूत करना जारी रखे हुए है, ताकि भविष्य में बेहतर कनेक्टिविटी और निर्बाध परिचालन सुनिश्चित हो सके।

नये आपराधिक कानून

सरफराज अहमद
मुख्य सुरक्षा आयुक्त
प्रधान कार्यालय, दपरे

नये आपराधिक कानून

- भारतीय न्याय संहिता–2023: 01 जुलाई, 2024 को लागू हुई, यह भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लिया है।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023: 01 जुलाई, 2024 को लागू हुई, यह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लिया है।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम–2023: 01 जुलाई, 2024 को लागू हुआ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम–1872 का स्थान लिया है।

पृष्ठभूमि

- आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करना।
- गुलामी के समय से चले आ रहे पुराने कानूनों को समाप्त करना।
- औपनिवेशिक अवशेषों को समाप्त करना।
- समकालीन सामाजिक वास्तविकताओं से परिचित होना।

उद्देश्य

- न्याय प्रणाली को तीव्र और कुशल बनाना क्योंकि यह सुशासन का एक अनिवार्य अंग है।
- महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- पीड़ितों का पुनर्वास सुनिश्चित करना।
- कानूनी कार्यवाही को सरल बनाना।
- सभी नागरिकों के लिए त्वरित न्याय।
- समयबद्ध जांच और सुनवाई के लिए समय–सीमा निर्धारित करना।

भारतीय न्याय संहित

झपटमारी, आतंकी हमला, मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध, इत्यादि।

हटाई गई धारा: अप्राकृतिक अपराध, व्यभिचार, राजद्रोह, किसी जुलूस में जानबूझकर हथियार ले जाना या हथियारों के साथ किसी सामूहिक अभ्यास या सामूहिक प्रशिक्षण का आयोजन या उसमें भाग लेना आदि।

मुख्य विशेषताएँ:

- नए कानून को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता।
- आधुनिक पारिभाषिक शब्दावली का उपयोग।
- अपराधों की सूची में नए अपराध शामिल किए गए हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का समावेश।
- सामुदायिक सेवा।

भारतीय न्याय संहिता - रेलवे में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली धारा

भारतीय दण्ड संहिता (IPC)	भारतीय न्याय संहिता (BNS)	रेल संपत्ति (अवैध संपत्ति) अधिनियम RP(UP) Act:	दंड में परिवर्तन
धाारा 378: चोरी:	धाारा 303: चोरी:	आरपी(यूपी) अधिनियम की धारा 03: रेल संपत्ति की चोरी, बेईमानी से दुर्विनियोग/हेराफेरी या अवैध रूप से कब्जा करने पर दंड। यह रेलवे संपत्ति के अवैध कब्जे को रोकने के लिए एक विशेष अधिनियम है। पहले इस धारा को IPC-378 और 379 के साथ शामिल किया गया था परंतु वर्तमान में इसे BNS-303 में शामिल किया गया है।	BNS में दंड बढ़ा दी गई है, अर्थात IPC में सज़ा 03 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों थी, जबकि BNS में दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 1 से 05 साल तक की सज़ा कठोर कारावास दी जाती है। इसके अलावा, अगर चोरी की गई संपत्ति का मूल्य 5000/- से कम है, तो संपत्ति के मूल्य की वापसी या संपत्ति की वापसी पर, सज़ा सामुदायिक सेवा है। आरपी(यूपी) अधिनियम के अंतर्गत दंड में कोई परिवर्तन नहीं अर्थात पहला अपराध करने पर दंड: पांच वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों। दूसरा अपराध करने पर दंड : पांच वर्ष तक का कारावास या जुर्माना।
धारा 107-120(बी): दुष्प्रेरण (उकसाना) और आपराधिक षड्यंत्र	धारा 45-50: दुष्प्रेरण (उकसाना) और आपराधिक षड्यंत्र	धारा 04: उकसाने, षडयंत्र रचने या मिलीभगत कर अपराध करने पर दंड	BNS में दंड में कोई परिवर्तन नहीं: अर्थात अपराध करने पर निर्धारित दंड दी जाएगी। RP(UP) अधिनियम में दंड में कोई परिवर्तन नहीं : यानी पांच साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों।
धारा 403: संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग	धारा 315: संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग	धारा 03: रेल संपत्ति की चोरी, बेईमानी से दुर्विनियोग/हेराफेरी या अवैध कब्जा करने पर जुर्माना।	BNS में वर्धित दंड : BNS में दंड को 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से बढ़ाकर 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना कर दिया गया है। आर.पी.(यू.पी.) अधिनियम में दंड में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, अर्थात पहला अपराध करने पर 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, अथवा दोनों, तथा दूसरा अपराध करने पर 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।
झपटमारी: भारतीय दंड संहिता में झपटमारी करने पर कोई धारा नहीं है।	धारा 304: झपटमारी:	जोड़ी गई नई धारा: 03 वर्ष तक कारावास और जुर्माना।	

भारतीय न्याय संहिता - रेलवे में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली धारा

भारतीय दण्ड संहिता (IPC)	भारतीय न्याय संहिता (BNS)	दंड में परिवर्तन
धारा 383, उद्दापन (जबरन वसूली).	धारा 308: उद्दापन (जबरन वसूली)	दंड को 03 वर्ष के कारावास एवं जुर्माने से बढ़ाकर 07 वर्ष के कारावास एवं जुर्माने तक कर दिया गया।
धारा 390: लूट.	धारा 309: लूट.	दंड में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, अर्थात कठोर कारावास की अवधि 10 वर्ष तक बढ़ाया और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
धारा 391 : डकैती	धारा 310 : डकैती	दंड को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा जुर्माने से बढ़ाकर आजीवन कारावास तथा जुर्माना तक कर दिया गया।

भारतीय दण्ड संहिता (IPC)	भारतीय न्याय संहिता (BNS)	दंड में परिवर्तन
धारा 353: ड्यूटी के दौरान लोक सेवक पर हमला:	धारा 132: ड्यूटी के दौरान लोक सेवक पर हमला;	दंड में कोई परिवर्तन नहीं : अर्थात 2 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों।
धारा 328 : जो कोई किसी व्यक्ति को कोई विष या कोई मूर्च्छा पैदा करने वाली, मादक या अस्वास्थ्यकर औषधि या अन्य वस्तु इस आशय से देगा या लेने का कारण बनेगा कि उस व्यक्ति को क्षति पहुंचे, या यह जानते हुए कि वह किसी अपराध को करने या करने में सहायता करे, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह उससे क्षति पहुंचेगी।	धारा 123: अपराध करने के इरादे से विष आदि द्वारा उपहति (चोट) पहुंचाना।	दंड में कोई परिवर्तन नहीं : अर्थात 10 साल तक की कैद और जुर्माना
धारा 509: छेड़खानी:	धारा 79: छेड़छाड़: दंड	दंड में कोई परिवर्तन नहीं : अर्थात 3 वर्ष तक कारावास और जुर्माना।

भारतीय दण्ड संहिता (IPC)	भारतीय न्याय संहिता (BNS)	दंड में परिवर्तन
धारा 300 : हत्या	धारा 100: हत्या	दंड में कोई बदलाव नहीं : अर्थात मृत्युदंड या आजीवन कारावास तथा जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
धारा 375: बलात्संग (बलात्कार)	धारा 63:, बलात्संग (बलात्कार)	दंड में कोई बदलाव नहीं : अर्थात कम से कम 10 वर्ष का सश्रम कारावास जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है
धारा 363: अपहरण	धारा 139: अपहरण	वर्धित दंड : दंड को 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से बढ़ाकर 10 वर्ष से कम अवधि के कठोर कारावास और आजीवन कारावास और जुर्माने तक किया गया है।
धारा 354: महिला की लज्जा भंग करना:	धारा 74: महिला की लज्जा भंग करना:	दंड में कोई बदलाव नहीं : अर्थात कम से कम 01 वर्ष का कारावास जो 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

भारतीय दण्ड संहिता (IPC)	भारतीय न्याय संहिता (BNS)	दंड में परिवर्तन
धारा 370: मानव दुर्व्यापार (तस्करी) : **दंड:** **नाबालिग का दुर्व्यापार:** कम से कम 10 वर्ष का कठोर कारावास जो आजीवन कारावास और जुर्माना तक बढ़ाया जा सकता है। एक से अधिक नाबालिगों का दुर्व्यापार: कम से कम 14 वर्ष का कठोर कारावास जो आजीवन कारावास और जुर्माना तक बढ़ाया जा सकता है। लोक सेवक या पुलिस अधिकारी द्वारा दुर्व्यापार : आजीवन कारावास और जुर्माना। यौन शोषण के आशय से दुर्व्यापार: किसी व्यक्ति के लिए कम से कम ३ वर्ष का कठोर कारावास, या ०५ वर्ष और जुर्माना।	**धारा 43 : मानव दुर्व्यापार (तस्करी) :** **दंड:** **धारा 143(2):** कम से कम 7 वर्ष का कठोर कारावास जो 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना। **धारा 143(3):** 1 से अधिक व्यक्तियों का मानव दुर्व्यापार; कम से कम 10 वर्ष का कठोर कारावास जो आजीवन कारावास और जुर्माना तक बढ़ाया जा सकता है। **धारा 143(4):** बच्चों का दुर्व्यापार; कम से कम 10 वर्ष का कठोर कारावास जो आजीवन कारावास और जुर्माना तक बढ़ाया जा सकता है। **धारा 143(5):** 1 से अधिक बच्चों के दुर्व्यापार; कम से कम 14 वर्ष का कठोर कारावास जो आजीवन कारावास और जुर्माना तक बढ़ाया जा सकता है। **धारा 143(6):** बार-बार अपराध करना; उस व्यक्ति के प्राकृत (प्राकृतिक) जीवनकाल के लिए कारावास और जुर्माना। **धारा 143(7):** दुर्व्यापार में शामिल लोक सेवक या पुलिस अधिकारी; उस व्यक्ति के प्राकृत (प्राकृतिक) जीवनकाल के लिए कारावास और जुर्माना।	**वर्धित दंड:** दण्ड को आजीवन कारावास से बढ़ाकर उस व्यक्ति के शेष प्राकृत (प्राकृतिक) जीवनकाल के लिए कारावास तथा जुर्माना किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

प्रमुख विशेषताएं

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS 2023) एक ऐतिहासिक कानूनी ढांचा है जिसका उद्देश्य भारत के नागरिकों के लिए सुरक्षा, अधिकार और न्याय तंत्र को बढ़ाना है। यह एक परिवर्तनकारी कानून है जो आपराधिक न्याय हितधारकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक संचार पर जोर देता है। यह जमीनी स्तर के कानून प्रवर्तकों सहित सभी भारतीयों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा।

- **न्याय संबंधी (फोरेंसिक) जांच:** BNS उन अपराधों के लिए न्याय संबंधी (फोरेंसिक) जांच को अनिवार्य बनाता है जिनमें सात साल या उससे अधिक की सजा होती है।
- **इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही।**
- **अनुपस्थिति में मुकदमा चलाना।**
- **पीड़ित के अधिकारों की सुरक्षा में वृद्धि।**
- **कानून प्रवर्तन में पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि।**
- **प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाना।**
- **तलाशी और जब्ती गतिविधियों की वीडियोग्राफी।**

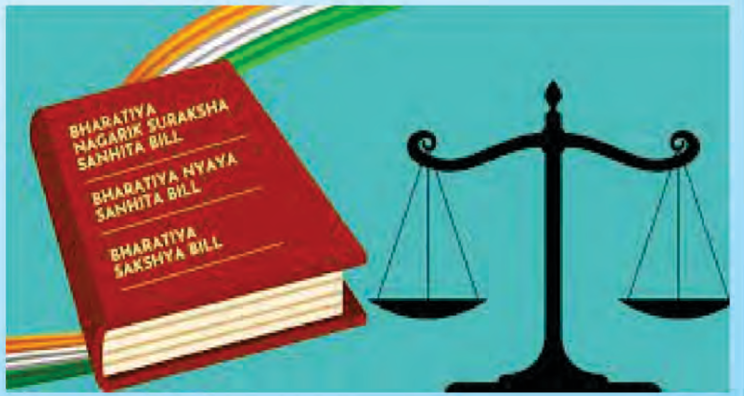

भारतीय दण्ड संहिता (IPC)	भारतीय न्याय संहिता (BNS)	आरपी(यूपी) अधिनियम: एवं रेलवे अधिनियम
धारा 41: बिना वारंट के गिरफ्तारी	धारा 35: बिना वारंट के गिरफ्तारी	RP(UP) अधिनियम की धारा 06 और RA की धारा 179(2) : बिना वारंट के गिरफ्तारी
धारा 46: गिरफ्तारी कैसे हुई?	धारा 43: गिरफ़्तारी कैसे हुई?	BNS में निर्धारित उपबंधो के अनुसार
धारा 47: गिरफ्तार किये जाने हेतु वांछित व्यक्ति द्वारा प्रवेश किये गये स्थान की तलाशी	धारा 44: गिरफ़्तारी हेतु वांछित व्यक्ति द्वारा प्रवेश किये गये स्थान की तलाशी	BNS में निर्धारित उपबंधो के अनुसार
धारा 51: गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी	धारा 49: गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी	BNS में निर्धारित उपबंधो के अनुसार
धारा 61-69: समन (Summons) का प्रारूप	धारा 63-71: समन (Summons) का प्रारूप	RP(UP) अधिनियम की धारा 09 और RA की धारा 180 B: समन (Summons)
धारा 70-77: वारंट	धारा 72-79: वारंट	BNS में निर्धारित उपबंधों के अनुसार
धारा 82: फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा	धारा 84: फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा	BNS में निर्धारित उपबंधों के अनुसार
धारा 83: संपत्ति की कुर्की	धारा 85: संपत्ति की कुर्की	BNS में निर्धारित उपबंधों के अनुसार
धारा 100: बंद स्थान का प्रभारी व्यक्ति तलाशी की अनुमति देता है	धारा 103: बंद स्थान का प्रभारी व्यक्ति तलाशी की अनुमति देगा	BNS में निर्धारित उपबंधों के अनुसार
धारा 154: संज्ञेय मामले में सूचना(FIR)	धारा 173: संज्ञेय मामले में सूचना सूचना(FIR)	RPF ने RP(UP) मामलों और रेलवे अधिनियम के मामलों में धारा 210 BNS के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष शिकायत दर्ज करती है।
धारा 190: मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान	धारा 210: मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान	BNS में निर्धारित उपबंधों के अनुसार

भारतीय साक्ष्य अधिनियम

प्रमुख विशेषताएं

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA 2023) एक ऐतिहासिक कानूनी ढांचा है जिसका उद्देश्य भारत के नागरिकों के लिए न्याय तंत्र को बेहतर बनाना है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023, जो 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है। यह भारतीय न्यायिक प्रणाली में एक प्रमुख विधायी सुधार का प्रतिनिधित्व करता है। दिनांक 20 दिसंबर, 2023 को लोकसभा और दिनांक 21 दिसंबर, 2023 को राज्यसभा द्वारा अनुमोदित, अधिनियम को दिनांक 25 दिसंबर, 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली।

- **इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य:** BSA इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मान्यता देता है, तथा इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी या संचार उपकरणों में संग्रहीत जानकारी शामिल होती है।
- अद्यतित की गई शब्दावली: **BSA** पुराने या असंवेदनशील शब्दों, जैसे 'पागल' और 'विक्षिप्त' को अधिक सम्मानजनक शब्दों से अद्यतित करता है। यह 'वकील', 'प्लीडर' और 'बैरिस्टर' जैसे पुराने शब्दों को अधिक समकालीन 'एडवोकेट' से बदलता है।
- औपनिवेशिक अवशेष: **BSA** 'ब्रिटिश कैलेंडर', 'क्वीन', 'ब्रिटिश इंडिया' और 'जस्टिस ऑफ द पीस' जैसे औपनिवेशिक अवशेषों को हटाता है।
- द्वितीयक साक्ष्य का दायरा: **BSA** द्वितीयक साक्ष्य के क्षेत्र का विस्तार करता है, तथा यह भी सम्मिलित करता है कि दस्तावेज़ की प्रामाणिकता संदिग्ध होने पर भी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है।
- हिरासत में लेकर अन्याय किए जाने के विरुद्ध सुरक्षा: **BSA** हिरासत में लेकर अन्याय किए जाने के विरुद्ध सुरक्षा को बढ़ाता है।
- आपराधिक कार्यवाही में पारदर्शिता बढ़ाना: किसी स्वीकारोक्ति को प्रासंगिक होने से अयोग्य ठहराने के लिए एक कारक के रूप में 'संस्वीकृति' को जोड़ना कानूनी मानकों में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है।
- प्रमाणीकरण प्रथाओं का आधुनिकीकरण: **BSA** की धारा **85** और **86** करार और अभिलेखों के लिए इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के साथ-साथ डिजिटल हस्ताक्षरों को भी शामिल करती है।
- इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की ग्राह्यता (Admissibility): **BSA** की धारा **61** यह सुनिश्चित करती है कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्य पारंपरिक दस्तावेजों के समान ही कानूनी महत्व और प्रवर्तनीयता रखते हैं।

IEA	भारतीय साक्ष्य अधिनियम	RP(UP) अधिनियम/रेलवे अधिनियम
धारा 45: विशेषज्ञों की राय	धारा 39(1): विशेषज्ञों की राय	भारतीय साक्ष्य अधिनियम **BNS**के उपबंधों के अनुसार
धारा 45(E): इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय	धारा 39(2): इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक की राय	भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों के अनुसार
धारा 62: प्राथमिक साक्ष्य	धारा 57: प्राथमिक साक्ष्य	भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों के अनुसार
धारा 63: द्वितीयक साक्ष्य	धारा 58: द्वितीयक साक्ष्य	भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों के अनुसार
धारा 65(बी): इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता	धारा 63: इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की ग्राह्यता **(admissibility)** (प्राथमिक साक्ष्य के रूप में)	भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों के अनुसार
धारा 101: सबूत का भार	धारा 104: सबूत का भार	भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों के अनुसार

निष्कर्ष

- **भारत के नए आपराधिक कानून कुशल और निष्पक्ष न्याय की दिशा में एक परिवर्तनकारी बदलाव को दर्शाते हैं।**
- **देश के आधुनिक मूल्यों और वास्तविकताओं को दर्शाते हैं।**

विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार

वृक्षारोपण

लेखा परीक्षा समीक्षा बैठक

68 वां अंतर रेलवे क्रिकेट टूर्नामेंट

दपरे की गतिविधियां

पूर्व महाप्रबंधक महोदय की विदाई

नए महाप्रबंधक महोदय का स्वागत समारोह

विश्व विरासत दिवस

विश्व महिला दिवस

राजाभाषा विभाग की गतिविधियां

रेल मंत्री राजभाषा ट्रॉफी

राजभाषा व्यक्तिगत नकद पुरस्कार

क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

हिंदी गृह पत्रिका "अभिव्यक्ति" का विमोचन

विशेष कार्य

तकनीकी सेमिनार का आयोजन

हिंदी साहित्यकार की जीवनी का वाचन